

10/3/15

कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर.

क्रमांक:-शिविरा-प्रारं/बजट/बी-3/9719/2014-15/251

दिनांक:-24.3.2015

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।

आफिस आई.डी. 911

विषय:-शिक्षा के अधिकार अधिनियम अन्तर्गत निजी विद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 की प्रथम किस्त के पुनर्भरण हेतु बजट आवंटन।

प्रसंग:-आपका पत्र क्रमांक शिविरा-बजट/बी-3/25250/2014-15 दिनांक 20.03.15


महोदय,

विषयान्तर्गत आपके प्रासंगिक पत्र के क्रम में निर्देशानुसार निम्न लेखामदों में अतिरिक्त राशि का आवंटन/स्थानान्तरण किया जा रहा है। आवंटित राशि का उपयोग दिनांक 19.12.2014 को अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई प्रोजेक्ट समन्वय समिति की बैठक कार्यवाही विवरण में दिये गये निर्देशानुसार किया जावे।

क्र.स.	बजट मद	आवंटित राशि रूपयों में
1	2202-01-800-14-00-57 (आयोजना व्यय)	2,50,00,000/-
	योग	2,50,00,000/-

(रूपये दो करोड़ पचास लाख मात्र)


भवदीय,


लेखाधिकारी, 24/03/2015

प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान जयपुर।
2. सिस्टम एनालिस्ट(संयुक्त निदेशक) माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर।
3. निजी सचिव, निजी अनुभाग(निदेशक महोदय)।
4. अनुभाग अधिकारी, शिक्षा का अधिकार अनुभाग।
5. सहायक लेखाधिकारी, अंक मिलान/योजना अनुभाग।
6. रक्षित पत्रावली।


लेखाधिकारी 24/03/2015